

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य प्रपत्र

प्रपत्र-41

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फोटो ग्राफ



CH-0.100



CH-0.550



CH-1.200

Photo Copy Attested

waithe

Assistant Engineer

21/06/2017

Name of Work: Construction of Tanakpur Tawaghat Rd. Km. -31 To
Silaar Motor Road, (Stage-Ist), under P.M.G.S.Y.



CH-1.600



CH-2.300

Photo Copy Attested

Waibho

Assistant Engineer

Irr. Divn. P.W.D. Champawat



CH-2.900

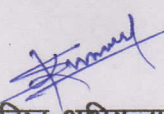
प्रपत्र

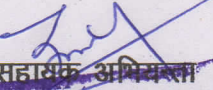
परियोजना का नाम:-

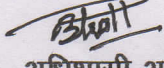
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी का प्रमाण-पत्र

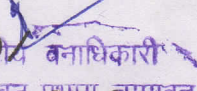
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में नजदीकीय अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी लगभग 50.00 किमी० पर स्थित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, सोनमोह
चम्पावत।


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, सोनमोह
चम्पावत


वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीबाँग)
चम्पावत वन प्रभाग


ह० वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-i

परियोजना का नाम— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०— 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर
मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का विवरण

- 1 क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण। जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०— 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। 1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
 ग) परियोजना की लागत।
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होना।
 ड.) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं ।
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 1000 मानव दिवस।
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: सिविल सोयम भूमि 0.810 हे०
नाप भूमि 2.025 हे०
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है लागू नहीं ।
 क) परिवारों की संख्या (शून्य)
 ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या (शून्य)
 ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) (शून्य)
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं) नहीं

- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और संलग्न है।
या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ संलग्न है।
दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम श्री कामोद कर्क भट्ट

मोहर

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०
चम्पावत

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावतसहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत
सिंचाई खण्ड लो०नि०
चम्पावतअधिसासी अभियन्ता
अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
सिंचाई खण्ड चम्पावत
चम्पावत

प्रपत्र-2.1

भाग-1।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

- 1 परियोजना का नाम— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०— 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
ii) जिला	चम्पावत
iii) वन प्रभाग	चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
iv) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.810 हे०
v) वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम भूमि
vi) हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.3
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	संलग्न है।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संलग्न है।
ix) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1500 मी० (लगभग)
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए)	नही
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही

- 8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।
- वन अधिनियम का उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए सिविल सोयम मौजा बंगापानी जाराजिवली में किया जाना है
.....।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

संलग्न है।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

संलग्न है।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न है।

11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12 प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

ग्राम्य विकास विभाग

कार्यदायी संस्था-

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चम्पावत

i. जिला का वन क्षेत्र।

1323.375 हे0

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

390.1389 हे0

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

419.516 हे0

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(ग) वन भूमि पर

419.516 हे0

(घ) वनेत्तर भूमि पर

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम

मोहर

प्रपत्र-2.2

भाग-iii

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14 स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15 क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

पपत्र-24

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग=II या भाग=III या भाग=IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रति - कूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

पपत्र-24

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग=II या भाग=III या भाग=IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रति - कूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

अधीक्षक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

ह०/
वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग

ह०/
प्रमाणित वनाधिकारी
प्रमाणित वनाधिकारी